



सं०: 286 / पीएससीएच / पाकालि / कम्प्यूटर / 2024

दिनांक: 15 .09.2024

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०,
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ।
(md@puvnl.in/md@muvnl.org/md@dvvnl.org/md@pvvnl.org)

विषय:—क्षेत्रीय तथा खण्डीय वितरण कार्यालय उनके भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने विषयक।

संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर क्षेत्रीय वितरण कार्यालय उनके भौगोलिक कार्यक्षेत्र में स्थित न होकर अन्य स्थान (पूर्ववर्ती वितरण क्षेत्र मुख्यालय) पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त कुछ वितरण अधिकारी एवं कार्मिक भी अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में निवास न कर अन्य स्थानों पर निवास कर रहे हैं जिसके कारण कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण न होने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी कठिनाईयां आती हैं।

उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें:—

1. नवसृजित वितरण क्षेत्रों के मुख्य अभियन्ता (वितरण) कार्यालय उनके नाम में अंकित स्थान पर ही स्थापित किये जाये। उदाहरण स्वरूप मुख्य अभियन्ता (रायबरेली क्षेत्र) एवं मुख्य अभियन्ता (सीतापुर क्षेत्र) का मुख्यालय/ कार्यालय क्रमशः रायबरेली व सीतापुर में तथा मुख्य अभियन्ता (प्रयागराज-2) का मुख्यालय/ कार्यालय जनपद प्रयागराज में स्थापित होगा। ये मुख्य अभियन्ता उसी स्थान पर निवास करेंगे तथा मुख्यालय या अपना क्षेत्र (Jurisdiction) छोड़ने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम की अनुमति लेंगे।
2. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय उनके भौगोलिक कार्यक्षेत्र में ही स्थित होंगे। भौगोलिक क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय अथवा विद्युत सब-स्टेशनों पर भवन क्षेत्र उपलब्ध है अतः ये कार्यालय इनके भौगोलिक क्षेत्रों के उपखण्ड कार्यालय अथवा सब-स्टेशनों में यथासंभव स्थापित किये जा सकते हैं।

इन अधिकारीगण द्वारा अपने नियंत्रणाधीन भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास किया जाये। यदि किन्हीं स्थानों पर सरकारी आवास उपलब्ध न हों तो अधिकारी किराये पर आवास लेकर रहें।

3. वितरण खण्डों के नाम उनके भौगोलिक कार्यक्षेत्र के नाम के अनुसार रखें जायें। यदि किन्हीं स्थानों पर तदनुसार वितरण खण्ड कार्यालयों के नाम परिवर्तन की आवश्यकता है तो इसका प्रस्ताव सम्बन्धित वितरण निगम की आगामी निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रबन्ध निदेशक, डिस्कॉम उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर एक सप्ताह में अनुपालन आख्या पावर कारपोरेशन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(डा0 आशीष कुमार गोयल)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि:—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ। (md@uppcl.org)